न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 199/ 2019

1 प्रहलाद पुत्र मंगतूराम उर्फ मंगतराम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 2 सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 गुरदयाल सिंह पुत्र मंगतूराम उर्फ मंगतराम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 2 सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

3 महीपाल नाबालिग जरिये कुरदती वली पिता गुरदयाल सिंह जाति जाट निवासी वार्ड नं. 2 सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादीगण

बनाम

1 देवीलाल पुत्र जालूराम जाति जाट निवासी वार्ड न. 2 सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 हनुमान पुत्र मेघराम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 2 सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

3 रामजीलाल पुत्र फरसाराम जाति जाट निवासी 16 के आर डब्लयू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए.

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री संदीप कुमार सोखल अधिवक्ता (प्रार्थीगण)

2 श्री महेन्द्र शर्मा अप्रार्थी सं. 3

2 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

निर्णय दिनांक : 8.1.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी ए. के तहत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण के नाम चक 16 के आर डब्ल्यू खाता संख्या 45/41 में 2.277 है. आराजी ब.हि.ब. दर्ज कागजात माल है। मौका पर प.न. 76/140 मु.न. 17 कि.न .1 ता 3, 8 ता 13 कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण को खेत को आने जाने के लिये प.न. 76/141 तक रास्ता मंजुरशुदा है लेकिन प्रार्थीगण को अपने खेत में आने जाने के लिये अप्रार्थी देवीलाल के प.न. 76/141 मु.न. 26 कि.न. 1 में 0.025 हे., एव मु.न. 17 कि.न. 21 में अप्रार्थी संखय 2 हनुमान एव इसी मुरब्बा के कि.न. 20 अप्रार्थी संखय 3 रामजीलाल के खेत से उत्तर से दक्षिण की तरफ 0.025 हे. भूमि में रास्ता मंजुर करवाना चाहता है, इसके अलावा प्रार्थीगण किसी तरफ से रास्ता नही लगता है जमाबदी व नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीगण पूर्व में माननीय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर के आदेश से रूपये जमा भी करवा दिये थे, लेकिन श्रीमान आर ए ए श्रीगंगानगर एव राजस्व बोर्ड अजमेर ने उपखण्डाधिकारी का आदेश कोलोनी कन्डीशन एक्ट के आधार पर निरस्त कर दिया था जिसकी प्रार्थीगण ने रिट माननीय हाई कोर्ट में दायर की थी चूंकि

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार ने 251 ए आर टी ए के तहत प्रावधान दिये गये है। इसलिए प्रार्थीगण ने माननीय हाइकोर्ट जोधपूर से रिट विड्रॉल की है। जिसकी प्रति संलग्न दरख्वास्त है। एव माननीय हाईकोर्ट ने नया वाद नये प्रावधानों के तहत पेश करने की अनूमति प्रदान की है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को अपने खेत में आने जाने के लिये फिर निवेदन किया है अप्रार्थीगण रास्ता, प्रार्थीगण को देने से इंकार 22.10.2019 को हो गये है, यही बिनाय दरख्वास्त है, इसके अलावा अन्य कोई प्रार्थीगण के पास चाराजोही नही है। वगेरा–वगेरा।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को अपनी आराजी चक 16 के आर डब्लयू के मु.न. 26 के कि.न. 1 में 0.0025 है. तक व मु.न. 17 कि.न. 20, 21 के उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफर प्रत्येक किला में 0.025 है., 0.025 है. यानि 16.5 फुट का रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, अप्रार्थी संख्या 1व 2 की तलबी हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नही आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 3 ने जरिये वकील उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण को वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, प्रार्थी द्वारा तहसीलदार सादुलशहर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र चक 15 व 16 के आर डब्लयू के मु.न .17 कि.न. 20, 21 में रासता के सबंध में तस्दीक किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था परन्तु तहसीलदार सादुलशहर ने तस्दीक ना दी जाकर उकत प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड की स्थिती सहित दिनांक 25.9.1998 को उपखण्डाधिकारी श्रीगंगानगर को प्रति प्रेषित कर दिया जिस पर उपखण्डाधिकारी ने तस्दीक ना दी जाकर उकत प्रार्थना पत्र के आधार पर रास्ता स्वीकृति के आदेश दिनांक 7.4.2000 को पारित किये। उपखण्डाधिकारी के आदेश दिनांक 7.4.2000 के विरूद्व अप्रार्थीगण द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के अपील प्रस्तुत की जो कि अपील स्वीकार कर बाद सुनवाई उपखण्डाधिकारी सादुलशहर का निर्णय करते हुये दिनांक 20.10.2001 को निर्णय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर का निर्णय दिनांक 7.4.000 को खारिज फरमाया गया, तथा उसके पश्चात प्रार्थीगण द्वारा एक अपील राजस्व मण्डल अजमेर मे पेश की जो दिनाक 5.8.2008 को प्रार्थीगण की अपील खारिज फरमाई गयी तो प्रार्थीगण द्वारा जोधपूर में अपील की जो खारिज हो चूकी फैसला पर राजस्व मण्डल अजमेर का फैसला सटेन्ट करता है, उक्त आदेशों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न जवाब है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज फरमाया जावे।

रिपोर्ट तहसीलदार प्राप्त हुयी। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। बहस सुनने के उपरान्त प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 के मध्य हुये राजीनामा के अनूसार प्रार्थना पत्र पेश कर व शपथ पत्र पेश कर अप्रार्थी संख्या 3 के हक हिस्सा में से कटान हुये रास्ता की ऐवज में प्रार्थीगण के हक हिस्सा की आराजी में से अप्रार्थी संख्या 3 को 2 बिस्वा आराजी दिये जाने का निवेदन किया। शेष अप्रार्थीगण को डी एल सी रेट से दूगुनी राशि दिये जाने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग प्रार्थीगण को उपलब्ध नही है इस सम्बध में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट में स्पष्ट कथन है एव प्रार्थीगण का पूर्ववर्ती प्रार्थना पत्र कोलोनाईजेशन एकट के तहत पेश किया हुआ था जो कि जरिये विड्रॉल खारिज हो चूका है व प्रार्थीगण ने नये प्रावधानों 251 ए आर टी ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251 ए आर ट ए के प्रावधानों रास्ता की अत्यंतिक आवश्यकता व वैकल्पिक मार्ग का अभाव दोनों ही शर्तो को पूरा करता है एव चाहे गये रास्ता के अलावा अन्य कोई नजदीक रास्ता प्रार्थीगण की आराजी में आने जाने हेतू उपलब्ध नही है एव प्रार्थीगण के कथनों का अप्रार्थी संख्या 3 के अलावा अन्य काश्तकारान ने विरोध नही किया है एव अप्रार्थी संख्या 3 व प्रार्थीगण का आपस में राजीनामा हो चूका है एव मुताबिक राजीनामा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। इस प्रकार प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र को दस्तावेजी साक्ष्यों, अभिकथनों, एव बहस व राजीनामा के आधार पर बखूबी साबित किया है एव मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सादुलशहर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की खातेदारी भूमि चक 16 के आर डब्लयू के मु.न. 26 के कि.न. 1 के कोना में 0.0025 है. व मु.न. 17 कि.न. 20, 21 में उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ प्रत्येक किला में 0.025 है., 0.025 हे. रास्ता स्वीकृत किया जाता है, एव इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के उक्त किलों में रास्ता में प्रयुक्त होने वाली भूमि की गणना करके उसकी डी.एल. सी. रेट की दुगुनी रेट से राशि प्रार्थीगण से जमा करवाई जावे, उक्त राशि जमा होने पर तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर रास्ता का गैर मुमकिन राजस्व रिकार्ड में अंकन करे एवं जमाशुदा राशि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को लौटाई जावें एवं अप्रार्थी संख्या 3 की आराजी में कटान हुये रास्ता की ऐवज में अप्रार्थी संख्या 3 के हक हिस्सा के मु.न. 17 कि.न. 18, 19, के चिपते हुये प्रार्थीगण के नाम दर्ज आराजी में से मु.न. 17 कि.न. 12 में 0.013 है. व कि.न. 13 में 0.012 है. कुल 0.025 है. आराजी अप्रार्थी संख्या 3 के नाम दर्ज की जावे। तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेश की पालना हेतु पत्र जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 8.1.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय ————में सुनाया गया ।

8.1.2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.01.28 17:44:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: